प्रखण्ड कार्यालय, सलखुआ

पत्रांक- 1596 / प्र० 3/9/16

208

प्रेषक,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
सलखुआ।

सेवा में,

सभी माननीय मुखिया,सलखुआ प्रखंड
सभी वार्ड सदस्य,सलखुआ प्रखंड

विषयः— पंचायत स्तरीय स्वच्छता समिति एंव वार्ड स्तरीय स्वच्छता समिति गठित करने के संबंध में।
प्रसंगः— विभागीय पत्र संख्या–68/सी0,दिनांक–05.08.2016 एवं जि0ग्रा0वि0अभि0,सहरसा के पत्र सं0–944–2,दिनांक–23.08.2016

महाशय,

उपर्युक्त प्रसांगधीन विषयक के सम्बंध में कहना है कि निम्न प्रकार पंचायत एंव वार्ड स्तर पर स्वच्छता समिति गठित कर एक सप्ताह के भीतर सूचित करने की कृपा करें।

पंचायत स्तरीय स्वच्छता समिति की संरचना	वार्ड स्तरीय स्वच्छता समिति की संरचना
1.मुखिया (अध्यक्ष) 2. सभी वार्ड सदस्य (सदस्य) 3. पंचायत सचिव (सदस्य) 4. पी0आर0एस0 (सदस्य) 5. आवास सहायक (सदस्य) 6. किसान सलाहकार (सदस्य) 7.जीविका v.o. के प्रतिनिधि(सदस्य)8. जीविका CLF के प्रतिनिधि(सदस्य)	1.वार्ड सदस्य (अध्यक्ष) 2. आशा कार्यकर्त्ता(सदस्य) 3.ए0ए0एन0एम0(सदस्य) 4. विकास मित्र (सदस्य) 5. टोला सेवक (सदस्य) 6. स्कूली बच्चे(सदस्य) 7. शिक्षकगण (सदस्य) 8.जागरूक दिव्यांग व्यक्ति(सदस्य) 9.ऑगन वाड़ी सेविका/सहायिका (सदस्य) 10.जीविका v.o. के प्रतिनिधि(सदस्य) 11.जीविका CLF के प्रतिनिधि(सदस्य) 12.जीविका SHG के प्रतिनिधि(सदस्य)
ग्राम पंचायत स्वच्छता समिति के कार्य एंव दायित्व	**वार्ड स्वच्छता समिति के कार्य एंव दायित्व**
1. ग्राम पंचायत स्तर पर लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान के सफल कार्ययान हेतु ग्राम पंचायत मुखिया के नेतृव्य में वार्ड वार विशिष्ट कार्य योजना CLTS के सात दिन के अन्दर प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह– प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी को सोपना तथा वार्ड स्तरीय सहयोग समिति को भी कार्य योजना तैयार करने में सहायता प्रदान करना। 2. ग्राम पंचायत को ODF घोषित करने हेतु DWSC से अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप कियान्वयन इकाई को इस दिशा में सहयोग करना। 3. ग्राम पंचायत द्वारा CLTS हेतु आवश्यक संसाधन सेबी को चिन्हित कर क्षमतावर्धन एंव प्रशिक्षण (आवश्यक Flip chart नुक्कड़ नाटक, दिव्यांग जनजागरूकता सहित विडियो प्रदर्शन,स्वच्छता रैली इत्यादि) के माध्यम से दिया जायेगा। 4. ग्राम पंचायत द्वारा अधतन baseline Sirvey का ग्राम सभा से अनुमोदन कराया जाना । 5. संबंधित ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने हेतु व्यक्ति पारिवारिक शौचालय निर्माण के अतिरिक्त सभी ग्रामीण संस्थान जैसे विधालय ऑगनबाड़ी,स्वास्थ केन्द्र/उपकेन्द, पंचायत कार्यलय इत्यादि में भी शौचालय निर्माण अनिवार्य किया जाना । 6. ग्राम पंचायत द्वारा समुदाय आधारित Sanitaru Mart या उपलब्ध बाजार से आवश्यक सामग्री की आपूर्ति श्रृंखला को बहाल करने में सहयोग करना। 7. ग्राम पंचायत द्वारा अत्यंत गरीब परिवारों, दिव्यांगों, वृद्व,विधवा अन्य विशिष्ट श्रेणी वाले परिवारां के लिए प्राथमिका के आधार पर शौचालय का निर्माण किया जाना । 8. ग्राम पंचायत द्वारा शौचालय निर्माण का भौतिक सत्यापन अनुश्रवण एंव निगरानी किया जाना है।	1.अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार वार्ड स्तर पर समुदायिक उत्प्रेरण (Community Mobilization) CLTS के द्वारा किया जाना एंव इसके उपरान्त Baseline Sirvey में छूटे हुए परिवारों को जोड़कर अघतन सूची तैयार करना। 2, वार्ड स्तर समिति द्वारा उत्प्रेरण एंव अन्नमुखीकरण हेतु कार्यकम के संचालन में सहयोग किया जाना तथा वार्ड स्तर पर शौचालय का ससमय निर्माण एंव उपयोग की निगरानी की जिम्मेवारी तथा चिन्हित दिव्यांग व्यक्तियों के घर में दिव्यांग अनुकूल शौचालय का निर्माण किया जाना । 3, वार्ड स्तर पर समिति सदस्य के रुप में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाऐं/विधालय शिक्षकगण/ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका,आशा कार्यकर्त्ता ,विकास मित्र,किसान सलाह0,दिव्यांग मित्र जागरूक दिव्यांक व्यक्ति आदि हो सकते है। 4, वार्ड स्तर समिति द्वारा शौचालय निर्माण हेतु अपेक्षित सामग्री की समुदाय आधारित खरीदारी को प्रोत्याहित किया जाना। 5, वार्ड स्तरीय सदस्यों द्वारा वार्ड में निर्मित सभी शौचालयों का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाना ।

(हस्ताक्षर) 3/9/16
प्रखंड विकास पदाधिकारी
सलखुआ

ज्ञापांक 1596 दिनांक 3/9/16
प्रतिलिपि–सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपीः– प्रखंड प्रमुख/उप प्रमुख,पंचायत समिति सदस्य/संरपंच (वर्तमान एंव भूतपूर्व) को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपीः– प्रखंड समन्वयक सदस्य/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ प्रखंड परियोजना प्रबंधक /प्रखंड कृषि पदाधिकारी/प्रखंड आपुर्ति पदाधिकारी /कनीय अभियंता,मनरेगा/ आवास पर्यवेक्षक/केन्द्र प्रबंधक,बुनियादी केन्द्र/समन्वयक सक्षरता समिति,सलखुआ को सूचना एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपीः– कार्यकम पदाधिकारी/वाल विकास पदाधिकारी/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी,सलखुआ को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–अनुमंडल पदाधिकारी,सिमरी बख्तियापुर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–निदेशक सह सचिव,जिला जल एवं स्वच्छता समिति,सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–उप विकास आयुक्त सह उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति,सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति,सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 3/9/16
प्रखंड विकास पदाधिकारी
सलखुआ

C:\Users\LAXMAN RAJ\Desktop\office letter.docx